ए.

यू. पी. टी. एच. आर. का राज्य सचिव और ओआरएस. v.

प्रेम चोपड़ा

(सिविल अपील सं. 2022 का 2417) 25 मार्च, 2022

बी.

[एस**.** अब्दुल नजीर और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]**

अंतरिम आदेशःठहराव का अंतरिम आदेश-प्रभाव-आयोजितःप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ि्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी आप्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी शप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी चप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी गप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी अप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ्रप्रत्यर्थी थप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ि्रत्यर्थी प्रत्यर्थी जप्रत्यर्थी ि्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी आप्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी शप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी गप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी ईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी गप्रत्यर्थी ईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी ,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ्रप्रत्यर्थी थप्रत्यर्थी गप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी आप्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी शप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ि्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी खप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी गप्रत्यर्थी ूप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी गप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी -प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ि्रत्यर्थी ,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी इप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ि्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ्रप्रत्यर्थी थप्रत्यर्थी गप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी आप्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी शप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी अप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ्रप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ि्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ्रप्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ि्रत्यर्थी टप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ि्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी जप्रत्यर्थी

ाप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी ,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी जप्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी इप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी अपास्त करनाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी जप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी -प्रत्यर्थी एप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी जप्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी ,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी जप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी गप्रत्यर्थी ईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी थप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी ,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी खप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी जप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी जप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी ,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी गप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी ईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी भप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी अप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी आप्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी शप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी अप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी आप्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी शप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी थप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी जप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी औप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी अप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी आप्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी शप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी जप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी -प्रत्यर्थी ऐप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी थप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी ,प्रत्यर्थी न्यायालयप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी षप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी उप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ्प्रत्यर्थी थप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी खप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी जप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी ,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी न्यायालयप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी अप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी आप्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी शप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी एप्रत्यर्थी ,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी जप्रत्यर्थी बप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी अप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी आप्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी शप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी

ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ्रप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी अप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी ्रप्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी अप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी आप्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी शप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी अप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ्रप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी थप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ्रप्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी षप्रत्यर्थी ्रप्रत्यर्थी टप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ैप्रत्यर्थी - प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ्रप्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी वप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी हप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी खप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी जप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी यप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी अप्रत्यर्थी ंप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी िप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी आप्रत्यर्थी दप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी शप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ोप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी मप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी ्रप्रत्यर्थी तप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी नप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी पप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी इप्रत्यर्थी सप्रत्यर्थी कप्रत्यर्थी ेप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी लप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी भप्रत्यर्थी ाप्रत्यर्थी रप्रत्यर्थी ्रप्रत्यर्थी थप्रत्यर्थी ीप्रत्यर्थी

सी.

डी.

ई.

एफ.

श्री चामुंडी मोपेड्स लिमिटेड बनाम चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन सी. एस. आई. सिनॉड सचिवालय, मद्रास

जी.

(1992) 3 एससीसी 1:[1992] (2) एससीआर 999; कनोरिया

केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य **(1997) 5** एस**.** सी**.** सी**. 772:[1997] (2)** एस**.** सी**.** आर**. 844;** राजस्थान आवास बोर्ड और अन्य बनाम।

कृष्ण कुमारी (2005) 13 एस. सी. सी. 151; दक्षिण पूर्वी ए

एच.

यू. पी. टी. एच. आर. का राज्य सचिव और ओआरएस. v.प्रेम चोपड़ा ए

कोलफील्ड्स लिमिटेड **V.** एम**.** पी**.** और अन्य राज्य **(2003) 8**

एससीसी 648:[2003] (4) पूरक।एस. सी. आर. 651; नव भारत

फेरो अलॉयज लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश लिमिटेड का पारेषण निगम और दूसरा (2011) 1 एस. सी. सी.

216 :[2010] (14) एस. सी. आर. 900; राजस्थान राज्य और

एक और बनाम जे**.** के**.** सिंथेटिक्स लिमिटेड और एक और **(2011)**

बी.

12 एससीसी **518:[2011] (10)** एस**.** सी**.** आर**. 993-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[1992] (2) एससीआर **999**

संदर्भित किया गया है

पैरा **18**

[1997] (2) एससीआर **844**

संदर्भित किया गया है

पैरा **19**

सी.

(2005) 13 एस**.** सी**.** सी**. 151**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

[2003] (4) पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 651** संदर्भित

पैरा **21**

[2010] (14) एससीआर **900**

संदर्भित किया गया है

पैरा **22**

[2011] (10) एससीआर **993**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

डी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 2417।

इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के 10.05.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से, लखनऊ में लखनऊ पीठ।2003 का एकल No.2582।

ई.

समर विजय सिंह, अमित ओझा, विपिन सिंह बंसल, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

अशोक कुमार सिंह, सुश्री प्रज्ञा सिंह, अक्षय सिंह, शांतनु सिंह, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

एफ.

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एस**.** अब्दुल नजीर**,** जे**.**

(1) छुट्टी दे दी गई।

जी.

(2) यह अपील विविध क्षेत्रों में इलाहाबाद (लखनऊ पीठ) में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10.05.2018 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है।2003 का एकल सं. 2582 जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा उत्पाद शुल्क राजस्व के बकाया पर ब्याज के लिए Rs.10,08,210.51 की राशि की मांग को अपास्त करना दिया है।

एच.

(3) इस मामले के निपटारे के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:14.03.2002 पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2002-03 के लिए उत्पाद शुल्क नीति घोषित की।आबकारी नीति के आधार पर और उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क (देशी शराब की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस का निपटान) नियम, 2002 (संक्षेप में 'नियम') के प्रावधानों के तहत, जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर,

लखीमपुर खीरी ने वर्ष के लिए उत्पाद शुल्क की दुकानों के निपटान के लिए एक विज्ञापन जारी किया।

बी.

(4) प्रत्यर्थी ने देशी शराब की दुकान, मोहम्मदी नंबर 1, लखीमपुर खीरी की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस देने के लिए निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन प्रस्तुत किया।उत्तरदाताओं को वर्ष 2002-03 (01.04.2002 से 31.03.2003 तक) के लिए Rs.29,52,000/- के वार्षिक लाइसेंस शुल्क के लिए एक लाइसेंस दिया गया था।

सी.

(5) दिसंबर 2002 के महीने में, प्रत्यर्थी ने आबकारी दुकान/लाइसेंस को समर्पण करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।

डी.

(6) समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार, प्रत्यर्थी उपरोक्त अवधि के लिए दुकान के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, यानी 01.04.2002 से 31.03.2003 तक।प्रत्यर्थी ने 31.12.2002 समाप्त होने वाले महीने तक Rs.20,35,212/- का कोटा उठा लिया था।

(7) अपीलार्थियों ने 06.01.2003 दिनांकित नोटिस के माध्यम से प्रत्यर्थी को अवगत कराया कि आबकारी दुकान के समर्पण के लिए उनके द्वारा दायर आवेदन पर लाइसेंस शुल्क के लिए रुपये 9,16,788 जमा करने के बाद ही विचार किया जा सकता है।25.01.2003 पर अपीलार्थियों ने प्रत्यर्थी को एक सप्ताह के भीतर रुपये 9,16,788 की बकाया लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए फिर से नोटिस जारी किया।

ई.

एफ.

(8) प्रत्यर्थी ने 2003 की रिट याचिका No.855 (MB) को प्राथमिकता दी जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग और औद्योगिक विकास) उत्तर प्रदेश के समक्ष अपील दायर करने का निर्देश दिया। तदनुसार, प्रत्यर्थी ने 19.02.2003 पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के समक्ष अपील दायर की। इसके बाद 08.03.2003 पर, प्रत्यर्थी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।आबकारी आयुक्त ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अपील को खारिज करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1910 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के नियम 19 और धारा 36 के तहत, प्रत्यर्थी पूरे बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।प्रत्यर्थी द्वारा दायर संशोधन को भी सचिव, आबकारी विभाग द्वारा दिनांक 18.07.2003 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

जी.

एच.

993

यू. पी. टी. एच. आर. का राज्य सचिव और ओआरएस. v.प्रेम चोपड़ा [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

ए.

(9) लाइसेंस रद्द होने के बाद, जिला आबकारी अधिकारी ने प्रत्यर्थी के खिलाफ कुल देय राशि की फिर से गणना की और रुपये की कुल राशि में से रुपये की प्रतिभूति की राशि को समायोजित किया और पाया कि प्रत्यर्थी अभी भी विभाग को रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

बी.

(10) दिनांकित 18.07.2003 आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने रिट याचिका, विविध दायर की।2003 का एकल No.2582, इलाहाबाद (लखनऊ पीठ) में उच्च न्यायालय के समक्ष।उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.08.2003 के आदेश के माध्यम से, जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा रुपये. 2,75,000 जमा करने के अधीन उक्त वसूली कार्यवाही पर रोक लगा दी।

सी.

(11) अपीलार्थियों ने 13.02.2004 पर रिट याचिका में जवाबी हलफनामा दायर किया। 21.12.2015 पर, रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था।वर्ष 2017 में, प्रत्यर्थी ने विभाग के पास रुपये की शेष राशि जमा की।इस प्रकार, 2003 में देय राशि का भुगतान वर्ष 2017 में किया गया था, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग को ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा।21.12.2015 दिनांकित आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा 19.01.2018 पर वापस ले लिया गया था।(12) इसके अलावा, 10.01.2018 पर, विभाग ने प्रत्यर्थी को ब्याज के लिए Rs.10,08,210.51 के भुगतान के लिए नोटिस जारी किया।10.05.2018 पर उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करते हुए कहा कि रु। ब्याज के लिए 10,08,210.51 उचित नहीं था क्योंकि प्रत्यर्थी एक अंतरिम आदेश के संरक्षण में था।

डी.

ई.

(13) अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार, प्रत्यर्थी वर्ष 2002-03 के लिए दुकान के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।उन्होंने जनवरी 2003 से मार्च 2003 तक लाइसेंस शुल्क का भुगतान

नहीं किया।उन्होंने लाइसेंस शुल्क की शेष राशि के भुगतान के लिए विभाग द्वारा की गई मांग को चुनौती दी और अपनी चुनौती में असफल रहे।अंत में, उन्होंने उच्च न्यायालय यानी विविध के समक्ष रिट याचिका दायर की।2003 का एकल No.2582 जिसमें एक अंतरिम आदेश दिया गया था।इस आदेश के कारण, अपीलार्थियों को लाइसेंस शुल्क एकत्र करने से रोक दिया गया था।रिट याचिका को गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था।प्रत्यर्थी ने शेष लाइसेंस शुल्क वर्ष 2017 में जमा किया था, लेकिन विभाग को ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा। यह तर्क दिया जाता है कि जब रिट याचिका खारिज कर दी गई थी, तो प्रत्यर्थी को लाइसेंस शुल्क पर उपार्जित ब्याज का भुगतान करना चाहिए था।यह आगे तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय ब्याज से इनकार करने में उचित नहीं था

एफ.

जी.

एच.

994

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

इस आधार पर कि अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश का संरक्षण प्राप्त था।

(14) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों को एक अंतरिम आदेश द्वारा लाइसेंस शुल्क की वसूली करने से रोक दिया था। प्रत्यर्थी ने वर्ष 2017 में लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है।इसलिए, अपीलार्थियों उस अवधि के लिए ब्याज की मांग करना उचित नहीं है, जिसके दौरान उच्च न्यायालय द्वारा लाइसेंस शुल्क की वसूली पर रोक लगा दी गई थी।

बी.

(15) आग्रह की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, जो प्रश्न विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी उस अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिसके दौरान अधिनियम की धारा 36 के तहत लाइसेंस शुल्क की वसूली पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी और अंततः जब रिट याचिका खारिज कर दी गई थी।

सी.

(16) अधिनियम की धारा 38-ए विशेष रूप से उत्पाद शुल्क राजस्व के बकाया पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान करती है जो निम्नानुसार हैः

डी.

" 38-ए. उत्पाद शुल्क राजस्व के बकाया पर ब्याज -

(1) जहां किसी उत्पाद शुल्क राजस्व का भुगतान देय होने की तारीख से तीन महीने के भीतर नहीं किया गया है, वहां ऐसी दर पर ब्याज, जो प्रति वर्ष चौबीस प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा कि निर्धारित किया जाए, उस तारीख से देय होगा जब ऐसा उत्पाद शुल्क राजस्व देय हो जाता है और वास्तविक भुगतान की तारीख तकः

ई.

बशर्ते कि जब तक उच्च दर निर्धारित नहीं की जाती है, तब तक ब्याज की दर अठारह प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।"

(17) यह विवादित नहीं है कि प्रत्यर्थी वर्ष 2002-03 के लिए अधिनियम की धारा 36 के तहत लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, यहां तक कि लाइसेंस के समर्पण पर भी।उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश दिया था जिसमें अपीलार्थियों को तीन महीने के लिए लाइसेंस शुल्क की वसूली से रोक दिया गया था, बशर्ते कि प्रत्यर्थी छह सप्ताह की अवधि के भीतर रुपये की राशि जमा करे।मान लीजिए, गैर-अभियोजन के लिए 21.12.2015 पर रिट याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया था।

एफ.

जी.

(18) जब अंतरिम आदेश लागू था, तो लाइसेंस शुल्क की वसूली को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था।प्रतिबंध केवल लाइसेंस शुल्क की वसूली नहीं करने के लिए विभाग के खिलाफ था।प्रत्यर्थी के लिए लाइसेंस शुल्क की शेष राशि जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यहां यह कहा जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने लाइसेंस शुल्क ए की मांग को रद्द नहीं किया है

एच.

995

यू. पी. टी. एच. आर. का राज्य सचिव और ओआरएस. v.प्रेम चोपड़ा [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

अपीलार्थियों द्वारा किया गया।एक आदेश के संचालन पर रोक और एक आदेश को रद्द करने के बीच अंतर है जिसे इसके द्वारा समझाया गया है।

श्री चामुंडी मोपेड्स लिमिटेड बनाम चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन सी. एस. आई. सी. आई. एन. ओ. डी. सचिवालय, मद्रास 1 में न्यायालय निम्नानुसार हैः

"चुनौती के तहत आदेश के संचालन पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश के प्रभाव पर विचार करते समय, आदेश को रद्द करने और आदेश के संचालन पर रोक लगाने के बीच अंतर किया जाना चाहिए।किसी आदेश को रद्द करने के परिणामस्वरूप उस स्थिति की बहाली होती है जो उस आदेश के पारित होने की तारीख को थी जिसे रद्द कर दिया गया है।हालाँकि, किसी आदेश के संचालन पर रोक लगाने से ऐसा परिणाम नहीं आता है।इसका मतलब केवल यह है कि जिस आदेश पर रोक लगाई गई है, वह स्थगन आदेश पारित होने की तारीख से लागू नहीं होगा और इसका मतलब यह नहीं है कि उक्त आदेश अस्तित्व से मिटा दिया गया है।"

बी.

सी.

(19) उक्त निर्णय के बाद**,** यह न्यायालय कनोरिया केमिकल्स में

एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम यू**.** पी**.** राज्य विद्युत बोर्ड

डी.

और अन्य, 2 ने अभिनिर्धारित किया है कि स्थगन का आदेश जो किसी रिट याचिका/वाद या अन्य कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान दिया जाता है, मूल कार्यवाहियों के खारिज होने के साथ समाप्त हो जाता है और ऐसे मामलों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह पक्षकारों को उसी स्थिति में रखे जिसमें वे होते, लेकिन न्यायालय के अंतरिम आदेश के लिए।उस मामले में, इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि जब अधिसूचना के संचालन पर ही रोक लगा दी गई थी, तो रोकी गई राशि पर कोई अधिभार की मांग नहीं की जा सकती थी।यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

ई.

"11. ....अन्यथा धारण करने का अर्थ यह होगा कि भले ही विद्युत बोर्ड, जो रिट याचिकाओं में प्रत्यर्थी था, उसमें सफल रहा, फिर भी विलंब भुगतान अधिभार से वंचित रहा जो शुल्क नियमों/विनियमों के तहत देय था।यह एक ऐसा मामला होगा जिसमें बोर्ड को न्यायालय के आदेशों के कारण पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती है।यह रिट याचिका में सफल होता है और फिर भी हार जाता है।उपभोक्ता रिट याचिका दायर करता है, दरों को संशोधित करते हुए अधिसूचना के संचालन पर रोक लगाता है और अधिसूचना की वैधता पर अपने हमले में विफल रहता है और फिर भी वह ठहराव की अवधि के लिए विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो जाता है, जिसे वह वैधानिक शर्तों के अनुसार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और

एफ.

जी.

1 (1992) 3 एस. सी. सी. 1,2 (1997) 5 एस. सी. सी. 772

आपूर्ति की शर्तें-कौन से नियम और शर्तें वास्तव में बोर्ड के साथ उसके द्वारा किए गए आपूर्ति अनुबंध का हिस्सा हैं।हम नहीं सोचते कि इस तरह के किसी भी अनुचित और असमान प्रस्ताव को कानून में कायम रखा जा सकता है।

XXX

XXX

XXX

बी.

यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी रिट याचिका/मुकदमे या अन्य कार्यवाही के निपटारे के लिए दिए गए स्थगन का आदेश, मूल कार्यवाही को खारिज करने के साथ समाप्त हो जाता है और ऐसे मामले में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह पक्षों को उसी स्थिति में रखे जो वे अंतरिम के लिए होते।

न्यायालय के आदेश।किसी भी अन्य दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप न्यायालय का कार्य या आदेश किसी पक्ष (इस मामले में बोर्ड) को बिना किसी गलती के पूर्वाग्रहित करेगा और इसका अर्थ यह भी होगा कि एक रिट याची को उसकी विफलता के बावजूद पुरस्कृत किया जाए।हमें नहीं लगता कि इस तरह के किसी भी अन्यायपूर्ण परिणाम को अदालतों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।वास्तव में, यहां उपभोक्ताओं के तर्क को तार्किक रूप से बढ़ाने का मतलब यह होना चाहिए कि बढ़ी हुई दरें भी ठहराव के आदेश द्वारा कवर की गई अवधि के लिए देय नहीं हैं क्योंकि शुल्क दरों को संशोधित/बढ़ाने वाली अधिसूचना के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। दयापूर्वक, अपीलार्थियों द्वारा ऐसा कोई तर्क नहीं दिया गया था।यह समझ में नहीं आता कि बढ़ी हुई दरों को भुगतान योग्य कैसे कहा जा सकता है, लेकिन उस पर विलंब भुगतान अधिभार नहीं कहा जा सकता है, जब वृद्धि और विलंब भुगतान अधिभार दोनों एक ही अधिसूचना द्वारा प्रदान किए जाते हैं-जिसके संचालन पर रोक लगा दी गई थी।"

सी.

डी.

ई.

(20) राजस्थान आवास बोर्ड और अन्य बनाम कृष्णा

कुमारी, 3 इस न्यायालय ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39 में इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के जोखिम और जिम्मेदारी पर अस्थायी निषेधाज्ञा देने का प्रावधान है और यदि अंततः ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामले का फैसला किया जाता है, तो वह किसी भी राशि के बकाया पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिस पर निषेधाज्ञा आदेश द्वारा रोक लगा दी गई थी।द.

एफ.

कानूनी मैक्सिम एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट, जिसका अर्थ है कि एक अधिनियम

न्यायालय का कोई भी व्यक्ति, ऐसे मामले में लागू नहीं होगा।

जी.

(21) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड V. एम. पी. राज्य और

अन्य, 4 इसमें रिट याची ने तर्क दिया था कि रॉयल्टी की बढ़ी हुई राशि का भुगतान न करने के कारण उपार्जित ब्याज को एक

3 (2005) 13 एससीसी 151 4 (2003) 8 एससीसी 648 ए

एच.

997

यू. पी. टी. एच. आर. का राज्य सचिव और ओआरएस. v.प्रेम चोपड़ा [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

अंतरिम प्रकृति का न्यायिक आदेश और इसलिए, केवल इसलिए कि रिट को अंततः खारिज कर दिया गया था, रिट याची को ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए जब तक कि धन को निषेधाज्ञा आदेश के सुरक्षात्मक छत्र के तहत रोक दिया गया था।इस निवेदन को इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित करके खारिज कर दिया गया थाः

“सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 144 में पुनर्स्थापन के सिद्धांत को वैधानिक रूप से मान्यता दी गई है।सी. पी. सी. की धारा 144 न केवल एक डिक्री को अपास्त करनाने, उलटने, अपास्त करनाने या संशोधित करने की बात करती है, बल्कि इसमें एक डिक्री के बराबर एक आदेश भी शामिल है।प्रावधान का दायरा इतना व्यापक है कि इसमें लगभग सभी प्रकार के परिवर्तन, परिवर्तन, अलग रखने या किसी डिक्री या आदेश के संशोधन को शामिल किया जा सकता है।न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश अंतिम निर्णय में विलय हो जाता है। किसी पक्ष के पक्ष में पारित अंतरिम आदेश की वैधता, अंतरिम चरण में पार्टी के खिलाफ अंतिम निर्णय के सफल होने की स्थिति में उलट जाती है।जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता है, अंत में सफल पक्ष को मुआवजे की मांग करने और उसी स्थिति में रखे जाने में

पूरी तरह से उचित ठहराया जाएगा जिसमें उसके खिलाफ अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया होता।सफल पक्ष (क) न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत विरोधी पक्ष द्वारा अर्जित लाभ के वितरण की मांग कर सकता है, या (ख) जो उसने खो दिया है उसकी भरपाई करने की मांग कर सकता है; और ऐसा करना न्यायालय का कर्तव्य है जब तक कि वह यह महसूस न करे कि तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के बजाय क्षतिपूर्ति उसे विफल कर देगी।प्रतिपूर्ति के सिद्धांतों का सहारा लेकर अंतरिम आदेश के प्रभाव को पूर्ववत करना उस पक्ष का दायित्व है, जिसे न्यायालय के अंतरिम आदेश से लाभ हुआ है, ताकि पारित अंतरिम आदेश के प्रभाव को मिटा दिया जा सके, जो अंतिम निर्णय के चरण में न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क को देखते हुए, न्यायालय को पहले पारित नहीं करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था।पक्षकारों को उसी स्थिति में बहाल करने के प्रयास में कुछ भी गलत नहीं है जिसमें वे होते यदि अंतरिम आदेश मौजूद नहीं होता।"

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

(22) नव भारत फेरो अलॉयज लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश लिमिटेड का पारेषण निगम और एक अन्य मामले में, 5 अपीलार्थी

उसमें प्रत्यर्थी द्वारा लगाई गई संशोधित शुल्क दरों को चुनौती दी गई थी और इसके संग्रह के खिलाफ रोक का अंतरिम आदेश प्राप्त किया था।

5 (2011) 1 एससीसी 216

एच.

विवादित राशि।उच्च न्यायालय ने बाद में शुल्क में वृद्धि को बरकरार रखा।इसके बाद, प्रत्यर्थी ने शुल्क संशोधन की तारीख से बकाया राशि पर अतिरिक्त शुल्क/ब्याज की मांग की और उच्च न्यायालय ने इस तरह की मांग को बरकरार रखते हुए कहा कि मांग को बरकरार रखने के बाद

कोई राहत नहीं है।इस न्यायालय ने आगे कहा कि पुनर्स्थापना का सिद्धांत सफल पक्ष को उस स्थिति में वापस लाने का अधिकार देता है जो वह धारण करेगा यदि इसके प्रतिकूल कोई आदेश/निर्णय नहीं होता।उसमें अपीलार्थी ने शुल्कों के प्रवर्तन के खिलाफ रोक का केवल एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया था।एक पक्ष जो मुख्य कार्यवाही में विफल रहता है, वह ऐसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान जारी किए गए अंतरिम आदेश से लाभ नहीं उठा सकता है। इसलिए, उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राशि अपीलार्थी से वसूली योग्य हो गई थी, जैसे ही उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया गया और शुल्कों के संशोधन को बरकरार रखा गया।

बी.

सी.

(23) राजस्थान राज्य में और एक अन्य बनाम जे. के. सिंथेटिक्स

सीमित और एक अन्य, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (2) के तहत रॉयल्टी की वसूली की अवधि के लिए ब्याज न्यायालय के अंतरिम आदेशों के तहत रोक दिया गया था।हालांकि, अंततः रिट याचिका खारिज कर दी गई।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब भी दर या शुल्क में किसी संशोधन के संबंध में रोक का अंतरिम आदेश होता है, जब तक कि अंतरिम रोक देने वाला आदेश या रिट याचिका को खारिज करने वाला अंतिम आदेश अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता है, रिट याचिका को खारिज करने या अंतरिम आदेश को समाप्त करने पर, अंतरिम आदेश के लाभार्थी को अंतरिम आदेश के आधार पर रोकी गई या भुगतान नहीं की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा।यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

डी.

ई.

"23. इसलिए यह स्पष्ट है कि जब भी दर या शुल्क में किसी संशोधन के संबंध में रोक का अंतरिम आदेश होता है, जब तक कि अंतरिम रोक देने वाला आदेश या रिट याचिका को खारिज करने वाला अंतिम आदेश अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता है, रिट याचिका को खारिज करने या अंतरिम आदेश को समाप्त करने पर, अंतरिम आदेश के लाभार्थी को अंतरिम आदेश के आधार पर रोकी गई या भुगतान नहीं की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा।जहाँ कानून या अनुबंध ब्याज की दर को निर्दिष्ट करता है, वहाँ आमतौर पर ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा।यहां तक कि जहां ब्याज के भुगतान के लिए कोई वैधानिक या संविदात्मक प्रावधान नहीं है, न्यायालय को आदेश को खाली करते समय उचित दर पर ब्याज के भुगतान का निर्देश देना होगा।

एफ.

जी.

एच.

6 (2011) 12 एससीसी 518 ए

999

यू. पी. टी. एच. आर. का राज्य सचिव और ओआरएस. v.प्रेम चोपड़ा [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

अंतरिम रोक, या रिट याचिका को खारिज करना, जब तक कि ऐसा न करने के लिए विशेष कारण न हों।कोई भी अन्य व्याख्या बेईमान देनदारों को शुल्क/दरों में संशोधन को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं दायर करने और रोक के अंतरिम आदेश प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।यदि रोकी गई राशि पर उचित ब्याज का भुगतान करके क्षतिपूर्ति करने की बाध्यता को सख्ती से लागू नहीं किया जाता है, तो हारने वाले को अन्यायपूर्ण मुकदमेबाजी का सहारा लेकर वित्तीय लाभ होगा और विजेता बिना किसी गलती के वित्तीय रूप से हारने वाले के रूप में समाप्त हो जाएगा।जो भी हो सकता है।"

बी.

(24) उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि किसी आदेश के संचालन पर रोक लगाने का अर्थ है कि जिस आदेश पर रोक लगाई गई है, वह रोक आदेश पारित होने की तारीख से लागू नहीं होगा। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि स्थगन आदेश अस्तित्व से मिटा दिया जाता है, जब तक कि इसे रद्द नहीं कर दिया जाता है।एक बार कार्यवाही, जिसमें रोक दी गई थी, खारिज हो जाने के बाद, पहले दिया गया कोई भी अंतरिम आदेश अंतिम आदेश के साथ मिल जाता है।दूसरे शब्दों में, अंतरिम आदेश कार्यवाही की बर्खास्तगी के साथ समाप्त हो जाता है।ऐसी स्थिति में, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि पक्षकारों को उसी स्थिति में रखा जाए जो वे होते लेकिन न्यायालय के अंतरिम आदेश के लिए, जब तक कि अंतरिम रोक देने वाला आदेश या कार्यवाही को खारिज करने वाला अंतिम आदेश अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता है।कार्यवाहियों को खारिज करने या अंतरिम आदेश को समाप्त करने पर, अंतरिम आदेश के लाभार्थी को अंतरिम आदेश के आधार पर रोकी गई या भुगतान नहीं की गई राशि पर ब्याज देना होगा।

सी.

डी.

ई.

(25) वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, प्रत्यर्थी अधिनियम के तहत अधिकारियों के समक्ष लाइसेंस शुल्क की शेष राशि की मांग करने वाले दिनांकित 06.01.2003 नोटिस को चुनौती देने में सफल नहीं हुआ। इसलिए, उन्होंने मिस्क वाली रिट याचिका दायर की।उच्च न्यायालय के समक्ष 2003 का एकल आई. डी. 1, जिसमें उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश द्वारा

जनवरी 2003 से मार्च 2003 के महीनों के लिए लाइसेंस शुल्क की मासिक किस्त की वसूली पर रोक लगा दी थी, जिला उत्पाद शुल्क अधिकारी के समक्ष छह सप्ताह की अवधि के भीतर आई. डी. 2 जमा करने के अधीन।यह विवादित नहीं है कि रुपये की यह राशि-2,75,000-प्रत्यर्थी द्वारा जमा की गई थी।उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा 21.12.2015 दिनांकित आदेश के माध्यम से गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था। 23.12.2017 पर, प्रत्यर्थी ने लाइसेंस शुल्क के लिए रुपये की शेष राशि जमा की।लेकिन, प्रत्यर्थी ने विभाग को ब्याज का भुगतान नहीं किया।रिट याचिका को 19.01.2018 पर बहाल किया गया था।इस बीच, अपीलार्थियों ने प्रत्यर्थी को Rs.10,08,210.51-का भुगतान करने के लिए एक नोटिस जारी किया।

एफ.

जी.

एच.

1000

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

देय ब्याज की ओर।उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था क्योंकि वह अंतरिम आदेश के संरक्षण में था।कानून की स्थिर स्थिति को देखते हुए, हमारे विचार में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि प्रत्यर्थी अंतरिम आदेश के तहत दिए गए संरक्षण के कारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था।

(26) परिणामस्वरूप, अपील सफल हो जाती है और तदनुसार इसकी अनुमति दी जाती है।उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 10.05.2018 विविध में।2003 का एकल सं. 2582 अपास्त करना गया है।

बी.

(27) इस स्तर पर, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी को एकमुश्त निपटान योजना 2021 के तहत आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें ब्याज बकाया के भुगतान के लिए कुछ रियायतें दी गई हैं।विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुति स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी को आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त योजना के संदर्भ में आवेदन करने की अनुमति है।हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि ऐसा आवेदन प्रत्यर्थी द्वारा दायर किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार उस पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है।कोई लागत नहीं।

सी.

डी.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.